भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *157
उत्तर देने की तारीख : 13.02.2019

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अल्पसंख्यक

***157. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले (बीपीएल) मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अल्पसंख्यक'' के संबंध में डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 13.02.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *157 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ): शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, स्वरोजगार और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता के लिए सरकार ने अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/पहलें शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं/पहलों को अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूरे देश में अनन्य रूप से या समग्र वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों (योजना के तहत) का 15% निर्धारित करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित अन्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास योजनाओं से भी अल्पसंख्यकों को लाभ होता है।

योजनाओं के उचित कार्यान्वयन, तृतीय पक्ष के मूल्यांकन और केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा निगरानी के लिए सभी योजना दिशानिर्देशों में तंत्र निहित है। नीति आयोग भी समय–समय पर अपने संबद्ध कार्यालय, अर्थात् विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के माध्यम से योजनाओं का मूल्यांकन करता है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं/पहलों के कार्यनिष्पादन का संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारें भी इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य/जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से भी करती हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से आशयित इस मंत्रालय की योजनाओं का भी समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण, इन योजनाओं के तहत आबंटित राशि सहित और विभिन्न योजनाओं के संबंध में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का विवरण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

*****